

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक 1694 /स्था/2021


भोपाल, दिनांक 23/12/2021

// कार्यालय आदेश //

दिनांक 22 दिसम्बर 2021 को सम्पन्न राज्य बोर्ड की 158 वीं बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत बोर्ड से बिना सम्मति प्राप्त संचालित उद्योगों/संस्थानों को "विवाद से विश्वास" योजना अन्तर्गत दिनांक 1/1/2022 से 31/3/2022 तक की अवधि के आवेदनों पर सम्मति प्राप्त करने हेतु प्रदान किया जाता है ।

2/- उक्त योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :-

- आवेदन में उद्योग/संस्थान द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने का दिनांक स्वप्रमाणित करना होगा ।
- उद्योग संस्थान को 1/1/2022 एवं 31/3/2022 के मध्य सम्मति आवेदन के साथ 31/3/2022 तक पूर्ण शुल्क जमा करना होगा ।
- उक्त अवधि में जिन उद्योग ने सम्मति प्राप्त की है उनके विरुद्ध न्यायालयीन वाद दायर नहीं किये जायेंगे ।



(ए०ए० मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ० क्रमांक 1695 /स्था/2021

भोपाल, दिनांक 23/12/2021

प्रतिलिपि:-

- 1 स्टॉफ ऑफिसर, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ
- 2 समस्त यूनिट हेड, मुख्यालय, समस्त आंचलिक अधिकारी, समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 3 महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, समस्त जिला मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ । कृपया उक्त संबंधी सूचना कार्यालय में पदर्शित करें
- 4 समस्त औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ । कृपया उद्योगों/संस्थानों को अवगत करायें ।
- 5 नोटिस बोर्ड/गार्ड फाईल/आईटी शाखा/कार्यालय आदेश


(ए०ए० मिश्रा)
सदस्य सचिव,